



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072022-237287  
CG-DL-E-14072022-237287

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504]  
No. 504]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 2022/आषाढ 22, 1944  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 2022/ASHADHA 22, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 10/2022-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 562(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 11 की उप-धारा (1) और धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2022-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.नि. 237(अ), दिनांक 31 मार्च, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " फ्लाइ ऐश ईटें; फ्लाइ ऐश समुच्चय; फ्लाइ ऐश ब्लॉक " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]  
विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 03/2022- संघ राज्य कर

**सा.का.नि. 570(अ).**—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 23 की उप-धारा (2) के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 21 के खंड (vi) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2019- संघ राज्य कर, दिनांक 7 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 192 (अ), दिनांक 7 मार्च, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रमांक 4 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " फ्लाई ऐश ईटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना संख्या 02/2019- संघ राज्य कर, दिनांक 7 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 192(अ), दिनांक 7 मार्च, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2022- संघ राज्य कर, दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.नि. 244(अ), दिनांक 31 मार्च, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th July, 2022

**No. 03/2022-Union Territory Tax**

**G.S.R. 570(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (vi) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 02/2019-Union Territory Tax, dated the 7<sup>th</sup> March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 192(E), dated the 7<sup>th</sup> March, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 4, for the entry in column (3), the entry "Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks" shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the 18<sup>th</sup> day of July, 2022.

[F. No.190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

The principal notification No. 02/2019-Union Territory Tax, dated the 7<sup>th</sup> March, 2019, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 192(E), dated the 7<sup>th</sup> March, 2019 and was last amended by notification No. 01/2022 –Union Territory Tax, dated the 31<sup>st</sup> March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 244(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2022.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 04/2022- संघ राज्य कर

सा.का.नि. 571(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 10 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 21 तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2017- संघ राज्य कर, दिनांक 27 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 648 (अ), दिनांक 27 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 4 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " फ्लाई ऐश ईटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना संख्या 02/2017- संघ राज्य कर, दिनांक 27 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 648 (अ), दिनांक 27 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2022- संघ राज्य कर, दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.नि. 245(अ), दिनांक 31 मार्च, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th July, 2022

**No. 04/2022-Union Territory Tax**

**G.S.R. 571(E).**—In exercise of the powers conferred under the sub-section (1) and sub-section (2) of section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), read with section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017(14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.02/2017-Union Territory Tax, dated the 27<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 648(E), dated the 27<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 4, for the entry in column (3), the entry "Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks" shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the 18<sup>th</sup> July, 2022.

[F. No.190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

**Note:** - The principal notification No. 02/2017-Union Territory Tax, dated the 27<sup>th</sup> June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 648(E), dated the 27<sup>th</sup> June, 2017, and was last amended by notification No. 02/2022 –Union Territory Tax, dated the 31<sup>st</sup> March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 245(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2022.